MR. CHAIRMAN: Three supplementaries and not more than that, Sir.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, just to. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, please. Q. No. 183.

'लिव-इन-रिलेशनशिप' के संबंध में कानून

†*183. **श्री प्रभात झा**: क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने 'लिव-इन-रिलेशनशिप' से संबंधित कानून पारित किए हैं और इन्हें अनुमोदन हेतु केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या राय है;

(ग) क्या सरकार भारतीय समाज और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानूनों को निरस्त करने पर विचार करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) किसी राज्य सरकार से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) इस प्रक्रम पर प्रश्न ही नहीं उठता।

Laws on live-in relationship

†*183. SHRI PRABHAT JHA: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some States have passed laws relating to live-in relationship and sent the same to the Central Government for approval;

(b) if so, Government's views in this regard;

(c) whether Government would consider rejecting such laws, keeping in view the Indian society and culture;

(d) if so, details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) No such proposal has been received from any State Government.

(b) to (e) At this stage question does not arise.

श्री प्रभात झा: सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का विधि और न्याय मंत्री ने जो उत्तर दिया है, वह तकनीकी दृष्टि से दिया है। मेरा प्रश्न है कि यह सच नहीं है कि कुछ राज्यों ने "लिव-इन-रिलेशनशिप" से संबंधित कानून पारित किए हैं और इन्हें अनुमोदन हेतु केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है? आपने उत्तर दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जब कि मेरी जानकारी है कि केन्द्र सरकार ने जस्टिस मलीमथ के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था, जिसमें सीआरपीसी में सुधार करने के संबंध में निर्णय लिए गए थे और उसी में यह बात कही गई थी। क्या मुझे यह बताने की कोशिश करेंगे कि जस्टिस मलीमथ की रिपोर्ट में यह बात नहीं थी?

†Original notice of the question was received in Hindi.

श्री हंसराज भारद्वाज: जनाबेआली, जहां तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सवाल है कि उन्होंने कोई ऐसा कानून पास किया है या नहीं किया है, अगर वहां पर कोई ऐसा कानून बना है और उसको केन्द्र में मंजूरी के लिए भेजा गया है, तो वह होम मिनिस्ट्री में जाता है, मेरे मंत्रालय में ऐसे कोई प्रस्ताव अनुमोदन के लिए नही आते हैं। इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, यही बात मैंने अपने जवाब में दी है। "लिव-इन-रिलेशनशिप" की जो समस्या है **...(व्यवधान)...** या जो जिज्ञासा है, समस्या या जिज्ञासा जो भी कहिए, अभी हमारे मुल्क में इसका इतने लंबे पैमाने पर प्रचलन नहीं है और अगर इसमें समाज की acceptability होगी **...(व्यवधान)...**

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, जब सरकार में ही झगड़ा है **...(व्यवधान)...।** जब सरकार ही "लिव-इन-रिलेशनशिप" में है, तो इनका जवाब क्या होगा। **...(व्यवधान)...**

श्री हंसराज भारद्वाज: महोदय, एक ही सवाल है कि कुछ सरकारों ने इस तरह के कानून बनाए हैं या नहीं बनाए हैं **...(व्यवधान)...**

श्रीमती वृंदा कारत: महोदय, इनका लास्ट sentence क्या था **...(व्यवधान)...**?

श्री हंसराज भारद्वाज: महोदय, मैंने यह कहा कि ज्यों-ज्यों इसकी acceptability समाज में आएगी, तो सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन मेरे मंत्रालय और मेरी अपनी जानकारी के अनुसार कुछ हिस्से में, जैसे गुजरात में मैत्री शादी होती थी और हो सकता है कि महाराष्ट्र वाले advance लोग हैं, उन्होंने ऐसा कर लिया हो **...(व्यवधान)...।** इस संबंध में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि wife-husband के अलावा भी कुछ लोग इस तरह से प्राइवेटली रह रहे हैं **...(व्यवधान)...।**

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, मंत्री महोदय की अपनी राय क्या है **...(व्यवधान)...।**

श्री हंसराज भारद्वाज: महोदय, मेरी राय और रवि शंकर जी की राय एक ही रहती है। मैं आपके पहले सवाल को पढ़ कर सुनाता हूं। जो भी कानून बनते हैं, वह समाज की आवश्यकता और प्रोग्रेस को ध्यान में रख कर ही बनते हैं। आपको पता है कि आपकी पार्टी पुरानी बातें करती हैं, आप जैसे कहेंगे कि वह बात जल्दी हो जाए। **...(व्यवधान)...।**

MR. CHAIRMAN: Please, please. No dialogue between Members.

SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, this is a hypothetical question. I have denied having any such proposal or legislation with me.

श्री प्रभात झा: सभापति महोदय, मैं विधि और न्याय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने जस्टिस मलीमथ कमिटी नहीं बनाई थी? क्या उस रिपोर्ट के सेक्शन 125 सीआरपीसी में बदलाव नहीं किया गया था? क्या उसमें पत्नी शब्द की परिभाषा को बदलने की सिफारिश नहीं की गई थी? आप अपने आप को इससे कैसे बरी कर सकते हैं?

आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी या अन्य हमारी सरकार, हमारी तो पूरी आस्था संस्कृति और समाज को जोड़ने में है। यह तो समाज को तोड़ने वाला कानून, प्रस्ताव और संदर्भ है, इसलिए मुझे यह प्रश्न करना पड़ रहा है **...(व्यवधान)...।**

श्रीमती माया सिंह: महोदय, अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव है, तो उसे सरकार को वापस लेना चाहिए **...(व्यवधान)...।**

MR. CHAIRMAN: Please. Please.

श्री हंसराज भारद्वाज: महोदय, जस्टिस मलीमथ कमिटी की जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, हो सकता है कि वह क्रिमिनल लॉ में अमेण्डमेंट के बारे में आई थी। वह बहुत पहले आई थी और शायद जब आपकी गवर्नमेंट थी, तब भी

उनकी रिपोर्ट आई थी, जब यह पोटा वगैरह का सवाल चला था, क्रिमिनल लॉ से संबंधित Judicial reform के लिए आई थी और बाद में उसे होम मिनिस्टर ने भी किया था। वे क्रिमिनल लॉ के रिफॉर्म्स थे और क्रिमिनल लॉ के रिफॉर्म्स किए होंगे, उनके संबंध में आप गृह मंत्रालय से सवाल कीजिए, वे आपको जवाब देंगे। **...(व्यवधान)... I**

एक माननीय सदस्य: ऐसे नहीं होगा... ऐसे नहीं होगा।

श्री हंसराज भारद्वाज: मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि पत्नी को छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाएं।

MR. CHAIRMAN: We are running short of time. Let us complete our work.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I am unaware as to what is the code in which questions are accepted by our Secretariat. I really don't know. As far as I know, in this country, on adult consensual relationships, there is no question of a law to ban or not to ban them. As far as other consensual relationships are concerned, there is no question of any law or anything to ban. So, why has this question at all been raised, introduced and allowed in this House? I don't know. In any case, I would just like to inform and seek clarification from the hon. Minister ..*(Interruptions)*..

श्री हंसराज भारद्वाज: क्वेश्चन तो कीजिए।

श्रीमती वृंदा कारत: भारद्वाज जी, हम बड़े धैर्य से तीस मिनट से आपकी बातें सुन रहे हैं।

श्री हंसराज भारद्वाज: O.K., मैं हाथ जोड़ता हूं, आप बोलिए।

श्रीमती वृंदा कारत: तो kindly मुझे भी बोलने दीजिए। आपने कहा कि आपके पास कोई जानकारी नहीं है about these relationships and whether there are laws or not. I just want to seek clarification whether he is aware that this House has unanimously adopted an Act against domestic violence and this Act ensures that every Indian woman, regardless of the nature of the relationship she is in, is protected from violence and this is the norm today. Therefore, the hon. Minister should clarify and answer to this question that every Indian woman is protected against violence regardless of the nature of her relationship with anybody. So, let him kindly clarify that.

SHRI H.R. BHARDWAJ: Brindaji is very much aware. ...*(Interruptions)*... Allow me to answer the question. ...*(Interruptions)*... My difficulty is this that I cannot look this way and answer this way. Sir, Brindaji has put the right question and I am very happy. She has raised the question about the Domestic Violence Act, which has been passed by the Parliament. I have the satisfaction that in the formulation of that law I sat with the Child & Women Department and NGOs led by Indira Jai Singh and others in getting that law into shape and get it passed. I am one of those crusaders for liberty of woman and I have worked for it for years and years. Even otherwise also, I feel that woman deserves a better deal in every walk of life. The Domestic Violence Act is one of the finest pieces of legislation that this Government has passed. We want to enforce it vigorously. No woman should be destitute. So far as that aspect is concerned, I am in total support of it and I am a party to that law. How can you say that we don't care? Until a law is made, there will be problems of adultery, bigamy and other things. With consent, two major persons can live together. If they live together without marriage, the lady is covered under the Domestic Violence Act. It is a very wholesome provision. Why do we exploit a lady and then throw her out of the house? She should be given protection.

डा. प्रभा ठाकुर: सभापति जी, माननीय मंत्री जी स्वयं बहुत विद्वान हैं और भारतीय संस्कृति से भली-भांति परिचित हैं। पहली बात तो आपका जो जवाब आया है कि किसी राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और यह तथ्यजनक है, तो यह संतोषपूर्ण है, क्योंकि लिव-इन-रिलेशनशिप किसी का व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज की जो अवधारणा है, वह उसके सरासर विपरीत है। इसलिए इस प्रकार की बात को कहीं कोई संवैधानिक मान्यता मिले या इस संबंध में कोई विधेयक पारित हो, हम समझते हैं कि पूरे भारतीय समाज में एक प्रतिशत लोग भी नहीं होंगे जो इस तरह की अवधारणा का समर्थन करेंगे। भारतीय समाज और भारतीय स्त्रियां भी इसके विरोध में हैं। यदि ऐसा कोई कानून बनता है तो ऐसी संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उसका बहुत अधिक दुरुपयोग हो सकता है।

श्री सभापति महोदय: आप सवाल पूछिए।

डा. प्रभा ठाकुर: मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि सरकार इस संबंध में कहीं भी मान्यता देने का विचार तो नहीं रखती है?

SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, I will fully answer this question. So far, there is no law, and as and when there will be a law, the Parliament alone or the State Legislature alone is competent to pass these laws. ...*(Interruptions)*... Sir, there should be absolutely no controversy on it. Laws are made on the demands of the society and when the society prepares itself, there are various kinds of demands, which are raised and not yet implemented by legislative process. So far, the law on domestic violence is the law which governs these relations and that is the law in force. There is no other law, and as and when we want to expand it, this can be done by amending this law or enacting another law. So, these are all hypothetical questions and I have no records to answer these.

श्रीमती माया सिंह: चेयरमैन सर, महाराष्ट्र सरकार ने 8 अक्टूबर, 2008 को Justice Malimath Committee के सुझावों को मानते हुए लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित प्रस्ताव केन्द्र के पास भेजा था। मंत्री जी ने कहा कि वह प्रस्ताव होम मिनिस्टर के पास आए होंगे, उन्हें उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जितने भी इस तरीके के सवाल और प्रश्न उठाए जाते हैं तो क्या मंत्री महोदय को होम मिनिस्ट्री इससे अवगत नहीं कराती? कानून से संबंधित जो भी इस तरीके का प्रस्ताव केन्द्र के पास भेजा जाता है, क्या उससे होम मिनिस्ट्री आपको अवगत नहीं कराती, यह मैं जानना चाहती हूं। दूसरा, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, इस तरीके का कानून वहां पास होता है और आपके पास सुझाव के लिए वह प्रस्ताव भेजा जाता है ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please, put your question.

श्रीमती माया सिंह: यह हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज की परिभाषा के विपरीत है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री हंसराज भारद्वाज: सर, मुझे हैरानी हो रही है कि इतने विद्वान मैंबर बिना आधार के सवाल को इतना आगे ले जाते हैं। अगर मेरे पास कोई जानकारी होती तो मैं आपको उसका पूरा जावब देता। कभी तो आप कहती हैं कि प्रस्ताव है, कभी कहती हैं कि कानून है।

श्रीमती माया सिंह: प्रपोज़ल है।

श्री हंसराज भारद्वाज: आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि प्रस्ताव रेज़ोल्यूशन को कहते हैं और कानून को कानून कहते हैं। आप जो सवाल पूछें, वह ध्यान से पूछें, अंदाजे से नहीं। मुझसे जो सवाल किया गया है, the States have passed laws. Law means the enacted law. Therefore, I do not have any law of such nature with me and I am not supposed to know what proposal Maharashtra Government is passing, or what proposal other Governments are passing, unless they come for my consideration. Parliament is a very important forum. Hon. Member cannot just go on putting questions, missiles after missiles unnecessarily.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.